दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इंडिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001.
सीआईएन संख्या : L66000MH1919GOI000526 आईआरडीए पंजीकरण संख्या : 190
वेबसाइट : www.newindia.co.in

500 सहायकों की भर्ती

सं.क्र.: कोर्प.एचआरएम/सहायक/2024 **16th दिसम्बर, 2024**

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी साधारण बीमा कंपनी **500** सहायकों की भर्ती हेतु ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित करती है।

राज्य / केंद्रशासित क्षेत्र के अनुसार रिक्तियां (संभावित) :

क्रं. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	क्षेत्रीय भाषा	अ. जा.	अ ज जा.	अ. पि. व.	ई डब्ल्यू एस	अनारक्षित (यूआर)	कुल	इनमें से: पी.डब्ल्यू.बी.डी. वी आई	पी.डब्ल्यू.बी.डी. एच आई	पी.डब्ल्यू.बी.डी. ओ सी	पी.डब्ल्यू.बी.डी. आई डी / एम डी	ईएक्सएस	डीआईएस ईएक्सएस और डीएक्सएस
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	हिंदी/ अंग्रेजी	0	0	1	0	1	**2**	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	तेलुगू	3	2	0	1	4	**10**	0	1	0	0	1	0
3	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	0	1	0	0	1	**2**	1	0	0	0	0	0
4	असम	असमिया	0	1	0	1	4	**6**	1	0	0	0	0	0
5	बिहार	हिंदी	0	0	0	1	1	**2**	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	हिंदी /पंजाबी	0	0	2	1	2	**5**	1	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	हिंदी	0	3	2	2	13	**20**	0	1	0	0	2	0
8	दिल्ली	हिंदी	3	2	0	1	6	**12**	0	1	0	0	1	0
9	गोवा	कोंकणी	0	0	2	1	5	**8**	1	0	0	0	0	0
10	गुजरात	गुजराती	6	8	9	5	22	**50**	0	1	0	1	5	2
11	हरियाणा	हिंदी	0	0	0	1	4	**5**	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	हिंदी	1	0	0	0	1	**2**	0	0	0	0	0	0
13	जम्मू और कश्मीर	हिंदी/उर्दू	0	1	0	0	3	**4**	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	हिंदी	0	1	0	0	1	**2**	0	0	0	0	0	0
15	कर्नाटक	कन्नड़	12	8	5	5	20	**50**	0	1	0	1	5	2
16	केरल	मलयालम	11	1	3	4	21	**40**	0	1	0	1	4	1
17	मध्य प्रदेश	हिंदी	8	10	0	4	18	**40**	1	1	0	0	4	1
18	महाराष्ट्र	मराठी	23	8	1	11	62	**105**	2	1	1	1	11	4
19	मणिपुर	मणिपुरी	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0
20	मेघालय	खासी/ गारो	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0
21	मिज़ोरम	मिज़ो	0	0	0	0	2	**2**	1	0	0	0	0	0
22	नागालैंड	अंग्रेजी	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0
23	ओडिशा	उड़िया	3	2	0	1	4	**10**	1	0	0	0	1	0
24	पुदुचेरी	तमिल	0	0	0	0	2	**2**	0	0	0	0	0	0
25	पंजाब	पंजाबी	6	0	1	1	6	**14**	1	0	0	0	1	0
26	राजस्थान	हिंदी	2	1	4	2	6	**15**	1	0	0	0	1	0
27	सिक्किम	अंग्रेजी/ नेपाली	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0
28	तमिलनाडु	तमिल	9	0	7	4	20	**40**	0	0	1	1	4	1
29	तेलंगाना	तेलुगू/उर्दू	1	1	3	1	4	**10**	0	1	0	0	1	0
30	उत्तर प्रदेश	हिंदी	0	1	4	2	17	**24**	0	1	0	0	2	1
31	उत्तराखंड	हिंदी	0	0	2	0	2	**4**	1	0	0	0	0	0
32	पश्चिम बंगाल	बांग्ला	3	0	2	1	4	**10**	0	0	0	1	1	0
	कुल रिक्तियाँ →		**91**	**51**	**48**	**50**	**260**	**500**	**12**	**10**	**2**	**6**	**44**	**12**

संक्षिप्तों का मानक:- **यूआर**-अनारक्षित, **अ.जा.**-अनुसूचित जाति, **अ.जजा.**-अनुसूचित जनजाति, **अ.पि.व.**-अन्य पिछड़ा वर्ग, **पी.डब्ल्यू.बी.डी. -** बेंचमार्क अशक्तता सहित व्यक्ति, **ई.डब्ल्यू.एस.** – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **ईएक्सएस -**भूतपूर्व सैनिक, **डीआईएसईएक्सएस –**अशक्त भूतपूर्व सैनिक, **डीएक्सएस -** युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रित, **ओ सी -** आथोपेडिक रुप से दिव्यांग**, वी आई** - दृष्टिबाधित , **एच आई -** श्रवण बाधित, **आई डी/ एम डी -** बौद्धिक दिव्यांगता एवं एकाधिक दिव्यांगताएँ ।

प्रक्रिया के लिए संभावित तिथि निम्नानुसार हैं :-

विवरण	**संभावित तारीखें**
ऑन लाईन पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क का भुगतान	17/12/2024 से 01/01/2025 (दोनों तिथियां शामिल हैं)
चरण I (प्रारंभिक) ऑनलाईन परीक्षा	27/01/2025 (सोमवार)
चरण II (मुख्य) ऑनलाईन परीक्षा	02/03/2025 (रविवार)
बुलावा पत्र डाउनलोड	प्रत्येक परीक्षा की तारीख से 7 दिन पहले (संभावित) { चरण I व चरण II परीक्षा }

उम्मीदवार केवल ऑन लाईन प्रणाली द्वारा ही आवेदन करें. किसी अन्य प्रणाली से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा. कृपया अपडेट के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट https://www.newindia.co.in के भर्ती खंड का संदर्भ लें ।

चूंकि सहायक संवर्ग में भर्ती राज्यों / केंद्रशासित क्षेत्रों के आधार पर की जाती है, उम्मीदवार केवल एक ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें उसी निश्चित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र से या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आवंटित केंद्र से ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य में रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार केवल पश्चिम बंगाल में केंद्र का विकल्प चुन सकता है और केवल उसी राज्य में रोजगार के लिए विचाराधीन होगा।

ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण और आयु छूट के पात्र नहीं होंगे। वे अपनी श्रेणी 'अनारक्षित (यूआर)' दर्शाएँ ।

भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31/01/2019- के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-ईएसटी (आरईएस) द्वारा शासित है। ईडब्ल्यूएस रिक्तियां प्रोविजनल हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति प्रोविजनल होगी और उचित चैनलों के माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

परिणाम को अंतिम रूप देते समय विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आरक्षण, प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा. उक्त रिक्तियां प्रोविजनल हैं और भर्ती के समय पर कंपनी की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की रिक्तयों में अनफिल्ड रिक्तियां, यदि कोई हैं, भी शामिल है। मेरिट लिस्ट राज्य और श्रेणी के अनुसार बनायी जाएगी. **वे उम्मीदवार जो भर्तीपूर्व परीक्षा में (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) सफल होते हैं उन्हें क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु आगे सूचीबद्ध किया जाएगा।**

पात्रता मापदंड :-

कृपया नोट करें कि उक्त पद हेतु आवेदन करने का मूल मानदंड यहां उल्लिखित पात्रता है । क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय उम्मीदवार को आवश्यक रुप से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और इसके साथ ही अपनी पहचान से संबंधित एवं विभिन्न पात्रता जैसे श्रेणी, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रारुप में दर्शाया हो, से संबंधित मूल दस्तावेज़ एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। कृपया नोट करें कि ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् किसी भी स्तर पर विवरण में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. पद हेतु मात्र आवेदन करने एवं लिखित परीक्षा हेतु और / या बाद में क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और / या बाद की प्रक्रिया में चयनित होने का यह अर्थ न लिया जाए कि उम्मीदवार को कंपनी द्वारा आवश्यक रुप से नियुक्त किया जाएगा। आवेदन की गई श्रेणी / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी अन्य श्रेणी में उम्मीदवारी पर विचार करने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. राष्ट्रीयता :-

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को :
(ए) भारत का नागरिक, या
(बी) नेपाल का नागरिक, या
(सी) भूटान का नागरिक, या
(डी) तिब्बत के शरणार्थी जो स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आए अथवा
(ई) भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका के केन्या, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जांबिया, मलावी, जैरे, इथोपिया और वियतनाम देशों से स्थानान्तरित होकर स्थायी रुप से भारत में बसने के इरादे से आया हो।
बशर्ते, उम्मीदवार जो कि उपर्युक्त (बी), (सी), (डी) और (ई) की श्रेणियों से संबंध रखता है और जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

2. <u>आयु (01/12/2024 को) :-</u>

01/12/2024 को **न्यूनतम आयु** : 21 वर्ष; **अधिकतम आयु** : 30 वर्ष।
यानी उम्मीदवारों का जन्म 02/12/1994 से पहले और 01/12/2003 (दोनों दिन शामिल) के बाद नहीं होना चाहिए।

ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी : –

क्र.सं.	श्रेणी	आयु छूट
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)	3 वर्ष
3.	'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक/विकलांग भूतपूर्व सैनिक	सैनिक सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि + 3 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष)
5.	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और कानूनी रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाएं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है	5 वर्ष
6	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान कार्मिक	5 वर्ष

<u>टिप्पणी</u> :-

1) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी उम्मीदवारों (नॉन क्रीमीलेयर) को ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर शेष श्रेणियों में से केवल एक के साथ अनुमति दी जाती है, जिसके लिए बिंदु 2 (3) से (6) के ऊपर उल्लिखित आयु छूट की अनुमति है।
2) वे उम्मीदवार,जिन्हें आयु सीमा में छूट चाहिए उन्हें आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होंगी और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय या भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां एवं मूल प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे.
3) भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जिन्होंने पुन: नौकरी हेतु भूतपूर्व सैनिक दर्जे का लाभ लेने के पश्चात सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी कर ली है उनकी सरकारी कार्यालय में पुन: नौकरी हेतु भूतपूर्व सैनिक दर्जे के लाभ को प्राप्त करने की स्थिति समाप्त हो जाएगी.हालांकि, वह पूर्व सैनिकों के लिए लागू आयु छूट के लिए पात्र होगा।
4) भूतपूर्व सैनिक को, जो शासकीय सेवाएं आरम्भ करने से पहले एक से अधिक रिक्तियों हेतु आवेदन करता है, तत्पश्चात किसी भी रोजगार या नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ ले सकता है. तथापि, यह लाभ उठाने के लिए भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही वह कोई शासकीय सेवा आरम्भ करता है तो उसे संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणापत्र देना होगा जिसमें उसे प्रारंभ की शासकीय सेवा आरम्भ करने के पहले विभिन्न रिक्तियों हेतु किए गए आवेदन के तिथिवार विवरण देने होंगे. इसके साथ ही यह लाभ केवल उन रिक्तियों के मामले में प्राप्त होगा जोकि सीधी भर्ती के आधार पर भरी जाएंगी और जहां कहीं भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होगा।

3. <u>शैक्षणिक योग्यता (01/12/2024 को)</u> :-

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की न्यूनतम योग्यता या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार को एसएससी/एचएससी/इंटरमीडिएट/ग्रेजुएशन स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए. उम्मीदवार के पास 01/12/2024 को शैक्षिणिक योग्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

भर्ती के राज्य की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवार उस राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र, जहाँ की रिक्तियों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जानता हो । उस राज्य / केंद्रशासित क्षेत्र, जहाँ की रिक्तियों के लिए उम्मीदवार आवेदन करता है, उस राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा से वह परिचित है या नहीं , यह जानने के लिए उसकी अंतिम चयन के पूर्व क्षेत्रीय भाषा परीक्षा ली जाएगी। जो उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा में प्रवीण नहीं होगा उसे अपात्र घोषित किया जाएगा ।

नोट: उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आवेदन करने से पहले स्वयं संतुष्ट हों कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों के रूप में आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं और यदि अयोग्य पाए जाते हैं तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

4. परिभाषाएँ :

अ) भूतपूर्व सैनिक , अशक्त भूतपूर्व सैनिक , शहीद सैनिकों के आश्रित :

भूतपूर्व सैनिक :- केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक संशोधन अधिसूचना संख्या 36034/5/85 ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 27/01/1986 (समयसमय-पर संशोधित) में उल्लिखित संशोधित परिभाषा को पूर्ण करते हैं।

अशक्त भूतपूर्व सैनिक :- भूतपूर्व सैनिक जो सैन्यबल में दुश्मनों के विरूद्ध लड़ते हुए या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में लड़ते हुए विकलांग हुए हो उन्हें ही अशक्त भूतपूर्व सैनिक समझा जाएगा.

शहीद सैनिकों के आश्रित :- निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में शहीद सैनिकों को सैन्य सेवा संबंधी कार्रवाई में शहीद माना जाएगा. (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या सीमा पर होने वाली मुठभेड़ चाहे पाकिस्तान से युद्ध विराम रेखा पर या किसी अन्य देश से, (ग) सशस्त्र शत्रुओं की घुसपेठ के खिलाफ लड़ाई जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में, (घ) विदेशों में शांति सेना अभियान के दौरान, (ड) सुरंगे बिछाने या साफ करने, शत्रुओं की सुरंगे भी. साथ ही सैन्य कार्रवाई के एक माह पहले से व तीन माह बाद तक की अवधि के बीच सुरंग सफाई अभियान भी, (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई के दौरान या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान हिमघात, (छ) आंदोलनग्रस्त अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और (ज) श्रीलंका में सैन्य कार्रवाई के दौरान शहीद आईपीकेएफ कार्मिक के मृत्यु के मामले में।

नोट :-

- आरक्षण संबंधी छूट का लाभ भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों द्वारा प्राप्त करने के प्रयोजन में परिवार के सदस्य में उसकी विधवा, पुत्र, पुत्री या उनका नजदीकी संबंधी जो उनके परिवार को सहयोग करने के लिए सहमत है वे शामिल होंगे और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय एक शपथ पत्र देना होगा कि केवल एक आश्रित द्वारा छूट का उपयोग किया गया है, या किसी भी आश्रित द्वारा छूट का उपयोग नहीं किया गया है।
- शहीद कार्मिक के आश्रितों के लिए उपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध नहीं है।
- क्षेत्रीय सैन्य कार्मिक को 15/11/1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

बी) बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति की परिभाषा (पीडब्ल्यूबीडी) :

'दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016' (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के धारा 34 के तहत केवल बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति ही आरक्षण के पात्र होंगे। केवल ऐसे व्यक्ति, जिनकी निर्दिष्ट अशक्तता 40% से कम नहीं है और जिन्हें अधिनियम के अनुसार केंद्र / राज्य सरकार के चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो, आरक्षण के पात्र होंगे।
तदानुसार निम्न अशक्तता वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं :-
ऐसे लाभों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को **क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय / प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर** निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तारीख तक या उसके पहले जारी किया गया हो) को प्रस्तुत करने होंगे (अंग्रेजी विज्ञापन के अंत में विनिर्दिष्ट प्रारूप उपलब्ध है)। साथ ही साथ विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) भी प्रस्तुत करने होंगे ।
(ए) क्षीण दृष्टि (दृष्टिहीन और कम दिखना)
(बी) सुनने में क्षीणता (बधिर व कम सुनने वाले)
(सी) शारीरिक विकलांगता (लोकोमोटर अशक्तता जिसमें सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास)
(डी) स्वलीनता (औटिज्म), बौद्धिक अशक्ततता, विशिष्ट शिक्षण अशक्ततता, मानसिक रोग
(इ) (ए) से (डी) के अंतर्गत शर्तो के आधार पर अनेक प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों जिसमें कर्णबधिर-दृष्टिहीनता-प्रत्येक दिव्यांगताओं के लिए पहचाना गया पद

टिप्पणी : उपरोक्त दर्शाई गई निर्दिष्ट अशक्ततता परिभाषा "दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016" (दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016) के अध्याधीन होगा।

स्क्राईब का प्रयोग कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश :-

i) क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप में प्रतिकूल रुप से प्रभावित है अपना स्वयं का स्क्राईब स्वयं के खर्चे पर नीचे (ii) एवं (iii) में दर्शाये सीमाओं के अधीन ऑनलाईन परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सभी मामले जहां स्क्राईब का प्रयोग किया जाता है वहां निम्न नियम लागू होंगे :-

1. उम्मीद्वार को स्वयं के खर्च पर स्क्राईब की व्यवस्था करनी होगी।
2. उम्मीद्वार द्वारा लिया गया स्क्राईब उसी परीक्षा का एक उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उपर्युक्त बातों का उल्लंघन करते हुए उन्हें पाया जाता है तो दोनों उम्मीद्वार एवं स्क्राईब की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पात्र उम्मीदवार और वे उम्मीद्वार जो परीक्षा में स्क्राईब की सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें निरपवाद रूप से सावधानीपूर्वक अपने आवेदन प्रारुप में इस बात का उल्लेख करना होगा. बाद में किए गए किसी भी प्रकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. एक उम्मीद्वार के लिए स्क्राईब का कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राईब नहीं बन सकता।
4. स्क्राईब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है।
5. दोनों, उम्मीदवार तथा स्क्राईब को एक उचित आश्वासन देना होगा जिसमें इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि स्क्राईब उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रताओं को पूर्ण करता है. यदि बाद में यह पाया गया कि उसने निर्धारित पात्रता को पूर्ण नहीं किया या तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जो भी रहा हो

6. वे उम्मीदवार जो स्क्राईब का प्रयोग कर रहे हैं वे परीक्षा के प्रति घण्टे के लिए बीस मिनट प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, पाने के पात्र होंगे।
7. केवल जिन उम्मीदवारों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण करवाया है उन्हे ही यह छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को दिया जानेवाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधार पर होगा. यदि उम्मीदवार ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण न किया हो तो परीक्षा संचालित एजेंसी के लिए उन्हें प्रतिपूरक समय देना संभव नहीं होगा। उम्मीदवार प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं करता है तो उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
8. परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर यदि यह पाया गया कि स्क्राईब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्क्राईब की सेवाओां का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह बताया जाता है कि स्क्राईब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

ii) लोकोमोटर अशक्त और सेरिब्रल पालसी वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश :-

लोकोमोटर अशक्तता और सेरिब्रल पालसी वाले उम्मेद्वारों को जहां मुख्य रुप से लिखित कार्य इतना प्रभावित होता है कि लिखने के कार्य की गति धीमी पड जाती है ऐसे उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट प्रतिपूरक समय दिया जाएगा (न्यूनतम 40% अशक्तता)

(iii) क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश :-

1. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार (न्यूनतम 40%अशक्तता) जिन्हें परीक्षा की विषयवस्तु के फोंट को देखने में असुविधा होती है उन्हें उन फोंट को बड़ा करके देखने का विकल्प दिया जा सकता है। उन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय, या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, दिया जाएगा।
2. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार जोकि परीक्षा में स्क्राईब की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में विषय वस्तु के फोंट को बडा करके देखने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

सी) <u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)</u> :

1) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (केंद्रीय सूची) के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के परिवार के पास या निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा भले ही परिवार की आय कुछ भी हो:

i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2) ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग परीक्षा लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा ।
3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।केवल निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबन्धित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा की प्रकिया में उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा ।
4) इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे ।

अस्वीकरण : ईडब्ल्यूएस रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों / स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

5. <u>परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण (ऑनलाइन)</u> :

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर)/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जो ऑनलाइन पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय इसकी सूचना दे सकते हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि विवरण के लिए **https://www.newindia.co.in** हमारी वेबसाइट के भर्ती अनुभाग का संदर्भ लें। जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, उन्हें पंजीकृत ईमेल आईडी / एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि मात्र ऑनलाइन पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने से, कोई भी उम्मीदवार कंपनी में रोजगार पाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

6. <u>चयन प्रक्रिया</u> :-

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

<u>प्रथम चरण : प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा)</u> :

100 अंकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, एक घंटे की अवधि की होगी और इसमें निम्नानुसार 3 खंड शामिल होंगे :–

क्र. सं .	परीक्षा का नाम (क्रमवार नहीं)	कुल प्रश्न	अंक	प्रत्येक परीक्षा / खंड की अवधि (अलग-अलग समयबद्ध)	परीक्षा का माध्यम
1	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	30	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क ज्ञान परीक्षा	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी/हिन्दी
3	संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी/हिन्दी
	कुल (पूर्ण योग)	**100**	**100**	**60 मिनट**	

उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा प्रत्येक परीक्षा में तए किए गए अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए राज्यवार और श्रेणीवार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को चरण ॥ - मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

<u>द्वितीय चरण : मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा)</u> :

250 अंकों के लिए मुख्य परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी और इसमें निम्नानुसार 5 खंड शामिल होंगे :–

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार नहीं)	कुल खंड	अंक	प्रत्येक परीक्षा / खंड की अवधि (अलग-अलग समयबद्ध)	परीक्षा का माध्यम
1	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क ज्ञान परीक्षा	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी/ हिन्दी
3	संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा	40	50	30 मिनट	अंग्रेजी/ हिन्दी
4	कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	40	50	15 मिनट	अंग्रेजी/ हिन्दी
5	सामान्य ज्ञान परीक्षा	40	50	15 मिनट	अंग्रेजी/ हिन्दी
	कुल	**200**	**250**	120 मिनट	

अ) प्रत्येक उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कुल अंक (कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

आ) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए कोई अलग अंक नहीं दिए जाएंगे। यह परीक्षा केवल योग्यता स्वरूप होगी।

इ) मुख्य ऑनलाईन परीक्षा के निष्पादन (परफॉर्मेंस) के आधार पर अंतिम चयन होगा बशर्ते उम्मीद्वार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्य घोषित हो। केवल पात्रता के मापदण्डों को पूरा करने से उम्मेदवार ऑनलाइन परीक्षा एवं क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं होगा।

ई) मेरिट सूची में अंतिम दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, आयु में सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार को भर्ती की आगामी की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

टिप्पणी :

- **गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू)**
  ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत उत्तरों के लिए अंकों को काटा जाएगा । प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से एक चौथाई अंक सही स्कोर पर पहुंचने के लिए दंड के रूप में काटे जाएंगे। उत्तर न दिये गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
- परीक्षा के ढांचे को संशोधित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा जिसे वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  राज्यवार एवं श्रेणीवार योग्यता क्रम की सूची (अंतिम मेरिट सूची) उम्मीद्वार के ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी बशर्ते उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्य घोषित हुआ हो। वे उम्मीदवार जो रिक्तियों की संख्या के आधार पर योग्यता क्रम सूची (अंतिम मेरिट सूची) में होंगे, स्वास्थ्य जांच के पश्चात उनकी भर्ती पर विचार किया जाएगा जिसकी सूचना उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखा करें।

  उम्मीदवारों की एक आकस्मिक सूची भी तैयार की जा सकती है और अंतिम वरियता सूची में चयनित उम्मीदवारों द्वारा रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है।

कृपया नोट करें कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

1. **निर्धारित तिथि तथा परीक्षा स्तर के लिए वैध बुलावा पत्र**
2. **मूल फोटो - पहचान साक्ष्य (विनिर्दिष्ट अनुसार) जिसमें बुलावा पत्र / आवेदन फॉर्म के अनुसार वही नाम और अन्य जानकारी दर्शाई गई हो और**
3. **फोटो पहचान साक्ष्य की फोटो प्रति (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार)**

* **पहचान का सत्यापन**

परीक्षा हाल में तथा क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय बुलावा पत्र के साथ उम्मीद्वार को वर्तमान में वैध फोटो पहचान की मूल और फोटोप्रति (जिसमें आवेदन पत्र के अनुसार वही नाम दर्शाया हो) जैसे कि पैनकार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता कार्ड/फोटो सहित मूल बैंक पास बुक /राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किया गया पहचान पत्र / जन प्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो सहित पहचान पत्र / मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए वैध पहचान कार्ड / आधार कार्ड या फोटो सहित ई-आधार कार्ड / कार्मिक पहचान पत्र/ बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। उम्मीद्वार की पहचान उसके बुलावा पत्र पर दिये विवरण, उपस्थिति सूची व प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेज़ के विवरण के साथ सत्यापित की जाएगी। यदि उम्मीद्वार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीद्वार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **इस भर्ती प्रक्रिया में पहचान हेतु राशन कार्ड तथा प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं होगा।**

टिप्पणी : उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. इसके बिना परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाए गए नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किए गए) का फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाए गए नाम से सटीक मिलान होना चाहिए। **बुलावा पत्र और फोटो पहचान साक्ष्य में दर्शाए गए नाम के बीच किसी भी प्रकार का भेद पाया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

विलंब से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के पश्चात आनेवाले उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी. बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा आरंभ समय से पहले होगा. चाहे प्रथम चरण परीक्षा की अवधि 1 घंटा तथा द्वितीय चरण के लिए 2 घंटे है (संभावित), उम्मीदवारों को लगभग 3 से 4 घंटे के लिए परीक्षा केन्द्र पर रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें विभिन्न औपचारिकताएं को जैसे सत्यापन और विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का संग्रह, लॉग इन करना, निर्देश देना आदि हेतु आवश्यक समय शामिल होगा।

<u>**बायमेट्रिक डाटा - केपचरिंग और सत्यापन**</u> **:**

मुख्य परीक्षा (चरण II) के दिन प्रारंभिक परीक्षा (चरण 1) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा (बाएं अंगूठे का निशान या अन्यथा) और फोटोग्राफ को कैप्चर करने का निर्णय लिया जा सकता है। बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ को बाद में क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के आयोजन के दौरान और अंतिम नियुक्ति के दौरान सत्यापित किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय इस स्थिति (मिलान या बेमेल) में अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया के सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न मदों का ध्यान रखें :-

- यदि उंगलियों में कोटिंग (स्टैंप स्याही / मेंहदी / रंग इत्यादि) हो तो सुनिश्चित करें कि उसे अच्छे तरह धो लिया गया है ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूर्ण रुप से साफ कर दी गई है।
- यदि उंगलिया गंदी या मैली हैं, सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट कैपचर करने से पहले (बायमैट्रिक) उन्हें धो और सूखा लिया गया है।
- यदि प्रमुख उंगली (बाया अंगूठा) जिसे कैपचर किया जाना है में चोट / क्षति हुई है तो परीक्षा केंद्र के संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें। ऐसे मामलों में अन्य उंगलियां, पैर की उंगलियों इत्यादि को कैपचर किया जा सकता है।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलिया सूखी हैं. यदि उंगलिया गीली है प्रत्येक उंगली को सुखा लें।

7. <u>क्षेत्रीय भाषा परीक्षा</u> :-

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बाद में चुनिंदा केंद्रों पर कंपनी द्वारा आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र का नाम और पता, इस परीक्षा का समय और तारीख हमारी वेबसाइट के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उपस्थित होना और अर्हता प्राप्त करना होगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को कंपनी की वेबसाइट से क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए अपने बुलावा पत्र डाउनलोड करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि तिथि, समय, केंद्र आदि में परिवर्तन के विषय में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कंपनी इस परीक्षा की तिथि / समय / स्थान / केंद्र आदि को बदलने या अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि कोई हो, अपने विवेकाधिकार से उम्मीदवारों के विशेष दिनांक / सत्र / स्थल / केंद्र / सेट के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा केवल योग्यता स्वरूप होगी। इसके लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अंतिम वरियता सूची के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुआ हो। सूची में उम्मीदवार पर्याप्त रूप से उच्च होने पर आगे के भर्ती प्रक्रिया के लिए विचाराधीन होगा ।

8. **<u>क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जो भी लागू हो)</u> :-**

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय उम्मीदवार को अपनी पात्रता और पहचान के समर्थन में निम्न दस्तावेज़ **मूल रूप में और स्व:सत्यापित फोटो प्रतियों** के साथ निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा ना कर पाने पर उम्मीदवार को परीक्षा देने कि अनुमति नहीं होगी। **क्षेत्रीय परीक्षा के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में उसकी उम्मीदवारी वर्जित कर दी जाएगी**।

1. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए वैध बुलावा पत्र का प्रिंटआउट ।
2. ऑनलाईन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाईन आवेदन फार्म का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआऊट ।
3. जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी या एसएसएलसी / जन्मतिथि के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र) ।
4. विज्ञापन में **"पहचान का सत्यापन"** में दर्शाए अनुसार पहचान को सत्यापित करते हुए फोटो पहचान साक्ष्य के मूल और फोटोप्रति ।
5. स्नातक / समकक्ष परीक्षा आदि के लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र 01/12/2024 की तारीख को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
6. अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।
7. अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से क्लॉज होना चाहिए कि उम्मीदवार **क्रीमीलेयर वर्ग से संबंधित नहीं है** जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछडी जातियों के आरक्षण के लाभों से वर्जित है. <u>नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज से संबंधित अ.पि.व. जाति प्रमाणपत्र ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि के समय वैध होना चाहिए</u>. **प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख केंद्र सरकार सूची / अधिसूचना के साथ अक्षरतः मेल खाना चाहिए**।
8. **अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीद्वार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा / या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं होंगे। वे उम्मीदवार ऑनालाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को अनारक्षित (सामान्य) वर्ग में दर्शायें**।
9. अशक्तता सहित व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में जारी अशक्तता प्रमाणपत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) प्रस्तुत करने होंगे । प्रस्तुत करना होगा । ऑनलाईन परीक्षा के समय यदि उम्मीद्वार स्क्राईब सेवाओं का उपयोग करता है तो विनिर्दिष्ट प्रारूप में स्क्राईब का विवरण विधिवत भरा जाए।
10. भूतपूर्व सैनिक उम्मीद्वार :
    (i) वे उम्मीद्वार जो सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिये गये है उन उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण में दिये गए `प्रारुप ए` के अनुसार प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय डिस्चार्ज प्रमाणपत्र/पेंशन भुगतान आदेश और वर्तमान/वर्तमान के पहले के रैंक का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे।
    (ii) वे उम्मीद्वार जो अब भी सैन्य सेवाओं में है और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से `प्रारुप बी` में उनका विशिष्ट अवधि नियुक्ति (एसपीई) `प्रारुप सी` की घोषणा के साथ जमा कराना होगा. ऐसे उम्मीद्वार जिनका विशिष्ट अवधि नियुक्ति (एसपीई) **31/12/2025** को या उससे पहले पूर्ण हो जाता है वे आवेदन करने के पात्र है। ऐसे उम्मीदवारों को नियोक्ता से रिलीज पत्र व स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा, जिससे यह पता लग सके कि वह भारत सरकार के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के तहत लाभ पाने का पात्र है।
    (iii)वे उम्मीद्वार जिन्होंने अपने कार्य का प्रारंभिक कार्यसमय पूर्ण कर लिया है और जो विस्तारित कार्य पर है, उन्हें दिये गये `प्रारुप डी` में प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
    (iv) सैनिक जो कि मोर्चेबंदी में मारे गये या बहुत बुरी तरह से अपाहिज हुए उनके आश्रितों को योग्य दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वे सैनिक के आश्रित हैं जो कि मोर्चेबंदी में मारे गये या बहुत बुरी तरह से अपाहिज हुए तथा एक एफिडेविट देना होगा जिसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि सैनिक के एक आश्रित ने छूट का लाभ उठाया है या किसी भी आश्रित ने उस छूट का लाभ नहीं उठाया है
11. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एक प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
12. सरकारी, अर्ध सरकारी / सार्वजनिक एवं अन्य उपक्रमों की सेवाओं के उम्मीदवार (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) को क्षेत्रिय भाषा परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा व्यय है / अन्य प्रकार से देय हो, स्वीकार्य नहीं होंगे।
13. अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हैं, तो
14. राष्ट्रीयता के आधार पर 1 (बी), (सी), (डी), और (इ) की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
15. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

नोट : संबंधित पात्रता मापदंड हेतु उपर्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने की स्थिति में उम्मीद्वारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9. <u>परीक्षा केंद्र</u> :-

1. संबंधित बुलावा पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ऑन लाईन परीक्षा संचालित की जाएगी।
2. परीक्षा के केन्द्र / स्थान/ दिनांक / परीक्षा सत्र में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. हालांकि फिर भी कंपनी अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह किसी भी परीक्षा केंद्र और / या कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकाधिकार द्वारा रिस्पोंस और / या प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुये रद्द कर सकती है या बढ़ा सकती है।
4. उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र को छोडकर उसे अन्य कोई भी केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर स्वयं के जोखिम पर और खर्चे पर उपस्थित रहेगा और किसी भी प्रकार के घाव या हानि आदि के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
6. **प्रारंभिक परीक्षा (चरण 1) और मुख्य परीक्षा (चरण 2) के लिए केंद्रों की संभावित सूची नीचे दी गई है।**
7. केंद्र और परीक्षा की तारीखों को कंपनी के विवेक पर बदला जा सकता है। किसी भी केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की स्थिति में, कंपनी अपने विवेकाधिकार से संबंधित उम्मीदवारों को एक वैकल्पिक केंद्र आवंटित कर सकती है। **चरण 1 और चरण 2 परीक्षाओं के लिए अलग-अलग बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे और उम्मीदवारों द्वारा कंपनी की वेबसाइट https://www.newindia.co.in में दिए गए लिंक से उचित समय पर डाउनलोड किए जाने चाहिए। बुलावा पत्र के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।**

नोट : यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं करते हैं, तो कंपनी उन उम्मीदवारों को किसी अन्य नज़दीकी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो कंपनी उन उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है।

चरण I (प्रारंभिक परीक्षा) एवं चरण II (मुख्य परीक्षा) के लिए संभावित परीक्षा केन्द्रों की सूची नीचे दिये टेबल में दर्शाये गए हैं :-

परीक्षा केंद्र (संभावित)		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**चरण I (प्रारंभिक परीक्षा)**	**चरण II (मुख्य परीक्षा)**
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	गुंटूर/विजयवाड़ा, हैदराबाद, काकीनाडा, कुरनूल, राजमुंदरी, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, ओंगोल	गुंटूर/विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन	नाहरलागुन
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर	गुवाहाटी
बिहार	आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर ,पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर	भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ,पटना, समस्तीपुर
चंडीगढ़	मोहाली	मोहाली
छत्तीसगढ़	भिलाई, बिलासपुर, रायपुर	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली / एनसीआर, फ़रीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव	दिल्ली/एनसीआर
गोवा	पणजी	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा	अहमदाबाद / गांधीनगर
हरियाणा	अंबाला,हिसार	हिसार
हिमाचल प्रदेश	बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लु, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना	बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, सांबा	जम्मू, श्रीनगर
झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची	धनबाद, जमशेदपुर, रांची
कर्नाटक	बेलगाम, बेंगलुरु, गुलबर्गा, हुबली/ धारवाड़, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा	बेंगलुरु
केरल	अलाप्पुझा, कन्नूर,एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर	एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन	भोपाल
महाराष्ट्र	अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई / ठाणे / नवी मुंबई / एमएमआर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रत्नागिरी	मुंबई / ठाणे / नवी मुंबई / एमएमआर, पुणे
मणिपुर	इंफाल	इंफाल
मेघालय	शिलांग	शिलांग
मिज़ोरम	आइजोल	आइजोल
नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर	कोहिमा, दीमापुर
ओडिशा	बालासोर, बेरहामपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, राउरकेला, संबलपुर	भुवनेश्वर
पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला	मोहाली
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर	जयपुर
सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, नागरकोइल, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर	चेन्नई
तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मोरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, वाराणसी	लखनऊ,प्रयागराज (इलाहाबाद)
उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की	देहरादून
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी	ग्रेटर कोलकाता

10. <u>आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)</u> :-

दिनांक 17/12/2024 से 01/01/2025 तक (दोनों तिथियां शामिल) ऑनलाइन अदा किया जा सकता है।

क्र.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अ.जा. / अ.जजा. / पीडब्लूबीडी / ईएक्सएस	रु. 100/- (जीएसटी सहित) (केवल सूचना शुल्क)
2	अ.जा. / अ.जजा. / पीडब्लूबीडी / ईएक्सएस उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवार	रु. 850/-(जीएसटी सहित) (आवेदन शुल्क जिसमें सूचना शुल्क भी शामिल है)

बैंक आवेदन शुल्क, यदि लागू होगा, तो उसे उम्मीदवार को वहन करना होगा।

एक बार भुगतान किए गए शुल्क को न तो वापस किया जाएगा और न ही भविष्य में आयोजित किसी अन्य परीक्षा या चयन हेतु आरक्षित रखा जाएगा। शुल्क भुगतान विकल्प नीचे दिए गए पैरा 11 के अंतर्गत वर्णित हैं।

11. <u>आवेदन कैसे करें</u> :-

इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रिया :
ए) आवेदन पंजीकरण
बी) शुल्क भुगतान
सी) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, एक हस्तलिखित घोषणा को स्कैन और अपलोड

ए. आवेदन पंजीकरण :

I. **पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु :**
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को चाहिए कि

i. निम्न को स्कैन करें
- फोटोग्राफ (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)
- हस्ताक्षर **(काली स्याही से सफेद कागज पर)**
- बाएं अंगूठे का निशान **(काले या नीले रंग की स्याही से सफेद कागज पर)**
- हस्तलिखित घोषणा **(काली स्याही से सफेद कागज पर)** (दिए पाठ के अनुसार)।

उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज 'दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दिशानिर्देशों' के तहत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार हों।

ii. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iii. बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए **(यदि किसी उम्मीदवार का बायां अंगूठा न हो, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है)।**

iv. हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है :-
"I, __________________ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

v. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होनी चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। **(दृष्टिबाधित उम्मीदवारों जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप कर सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान डाल सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं)।**

vi. अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज तैयार रखें।

vii. वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. हो जोकि भर्ती प्रकिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सभी कार्यालयीन पत्राचार उम्मीदवार के इस पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा यह ई-मेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटा न जाए। उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न होने की स्थिति में, वह ऑन लाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी बनाए और मोबाइल नं. रखें और अपना ई-मेल खाता और मोबाईल नंबर बरकरार रखें।

II. आवेदन प्रक्रिया :

1. उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाईट **https://www.newindia.co.in** "भर्ती विभाग" में **''अप्लाई ऑनलाईन"** पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी।
2. आवेदन पंजीकरण हेतु **''क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन''** का बटन चुने और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. दर्ज करें. स्क्रीन पर अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा। उम्मीदवार अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करें. अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाले ई-मेल और एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे।
3. उम्मीदवार द्वारा एक बार आवेदन पूर्ण न कर पाने के मामले में वे पहले से प्रविष्ट किये गये डाटा को ''सेव एंड नेक्स्ट'' टैब के माध्यम से सेव करें. ऑनलाईन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वह **''सेव एंड नेक्स्ट''** सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में सभी विवरणों को सत्यापित कर लें और यदि आवश्यक हो तो उनका संशोधन भी करें। क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले अपने सभी विवरणों को सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।
4. उम्मीदवारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऑनलाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **''फाईनल सबमिट''** बटन क्लिक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा।
5. आवेदन में उम्मीदवार का नाम या उसके पिता / पति इत्यादि के नाम की वर्तनी सही हो जैसे कि उसके प्रमाणपत्रों / अंक सूचियों में दिखाया गया हो. किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
6. अपने विवरणों को प्रमाणित करें और अपने आवेदन को **"वैलीडेट यूअर डिटेल्स''** पर क्लिक कर सेव करें और **''सेव एण्ड नेक्स्ट''** बटन पर क्लिक करें।
7. मद क्रमांक ''सी'' में दिये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने के विवरण हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु आगे बढ़े।
8. उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरणों को भरने के लिए आगे बढ़ सकता है।
9. प्रीव्यू हेतु प्रीव्यू टैब क्लिक करें और **"फ़ाइनल सबमिट"** से पहले संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जांच लें।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और आप द्वारा अपलोडेड फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर और भरे गये अन्य विवरण सत्यापित और सुनिश्चित करने के पश्चात ही केवल **''फाईनल सबमिट''** पर क्लिक करें।
11. **''पेमेंट''** टैब पर क्लिक करें और भुगतान हेतु आगे बढ़ें।
12. **''सबमिट''** बटन पर क्लिक करें।

बी. शुल्क का भुगतान - ऑनलाईन मोड :

1. आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन फॉर्म को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया है और यह भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपे/ वीजा/ मास्टर कार्ड / मास्टेरो) या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिग / आईएमपीएस /कॅश कार्ड / मोबाइल वालेट के माध्यम से किया जा सकता है।
3. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने का इंतजार करें, दोहरे प्रभार से बचाव हेतु "बैक" या "रिफ्रेश" बटन न दबाएं।
4. सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन पूरी होने पर **ई-रसीद** जनरेट होगी।
5. ई-रसीद जनरेट न होना इस बात को दर्शाता है कि भुगतान रद्द हो गया है. भुगतान के रद्द होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोविजनल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए **पुन: लॉग** ईन करें और भुगतान की प्रकिया को दोहराएं।
6. **उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे ई-रसीद और ऑन लाईन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आऊट लें। कृपया नोट करें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो यह समझें कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है।**
7. क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं हेतु: सभी प्रभार भारतीय रुपयों में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक वर्तमान प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार उसे स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा।
8. अपने डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया एक बार अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के पश्चात ब्राऊजर विंडों बंद कर दें।
9. शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेने की सुविधा है।

सी. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और लिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी :–

फोटोग्राफ की छवि (4.5 सेमी * 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ वर्तमान पासपोर्ट आकार और रंगीन होनी चाहिए।
- तस्वीर रंगीन होनी चाहिए प्रमुखत: पृष्ठभूमि सफेद या हल्के हरे रंग की हो।
- कैमरे को सीधे देखें और चेहरा ढीला (रिलैक्स) रखें।
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है तो सूरज आपकी पिछली तरफ हो, या स्वयं को छाँव में रखें ताकि आपकी आांखें झपकें नहीं और कोई गहरी छाया न हो।
- यदि फ्लैश का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आँखें स्पष्ट दिखें।
- टोपी, हैट और गहरे रंग चश्मे स्वीकार्य नहीं है। पगड़ी / धार्मिक दृष्टिकोण से सिर को ढंकने की अनुमति है परंतु यह आपके चेहरे को ढके नहीं।
- आकार 200 x 230 पिक्सल (अपेक्षित)
- फ़ाइल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच में हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का आकार 50 के बी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 के बी से अधिक होता है तो स्कैनर की सेटिंग जैसे कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को स्कैन करते समय / प्रोसेसिंग के दौरान समायोजित करें।

हस्ताक्षर,बाएं अंगूठे की छाप और हस्त-लिखित घोषणा कि छवि :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें।
- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें।
- आवेदक को लिखित घोषणा सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में लिखनी है।
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप, और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं।
- हस्ताक्षर का प्रयोग बुलावा पत्र पर लगाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वहां किया जाएगा।
- बुलावा पत्र और परीक्षा के समय उपस्थिती सूची में लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर का मेल, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से होना चाहिए। यदि हस्ताक्षर का मेल नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- आकार 200 x 230 पिक्सल (अपेक्षित)
- हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे की छाप के लिए फ़ाइल का आकार 10 के.बी. से 20 के.बी. के बीच में हो और हस्त-लिखित घोषणा के लिए 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच में हो।
- **अंग्रेजी के बडे अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।**

दस्तावेजों की स्कैनिंग

- स्कैनर का रिजोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डोट्स प्रति इंच) पर सैट करें और रंग को टू कलर पर सैट करें।
- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, एक हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक इमेज को स्केनर में क्रॉप करें फिर अपलोड एडिटर का प्रयोग करते हुए इमेज को अंतिम आकार तक क्रॉप करें (जैसा उल्लेख किया गया है) ।
- फ़ाइल की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए फ़ाइल का नाम: छवि 01.जेपीजी या छवि 01.जेपीईजी। छवि का आकार फोल्डर फाइलों को सूचीबद्ध कर के या माउस को फ़ाइल ईमेज आईकन पर ले जाकर जाकर जाँचा जा सकता है।
- उम्मीदवार जो एमएस विंडो/एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर को एमएस पेंट या एमएस ऊफ़ीके पिक्चर मैनेजर से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को जेपीजी फॉर्मेट में फ़ाइल मेन्युके `सेव ऐज` विकल्प में सुरक्षित/सेव कर सकते हैं। फ़ाइल को क्रॉप का प्रयोग करते हुए, फिर री-साईज का विकल्प चुनते हुए नियमित किया जा सकता है।
- यदि फ़ाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं हैं, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र/फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को फोटोग्राफ और हस्ताक्षरअपलोड करने हेतु लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, एक हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक है।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "अपलोड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा "
- जहां फोटो / हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फाईल सेव की गई है उस स्थान पर ब्राऊज कर सिलेक्ट करें।
- फाईल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें।
- "ओपेन/अपलोड" बटन पर क्लिक करें।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं।

नोट :

1. यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट / धुंधली है, तो उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि फोटोग्राफ स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।
3. ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने सिस्टम जेनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।
4. कृपया नोट करें कि ऑनलाईन आवेदन में वर्णित विवरण जिसमें उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई डी, परीक्षा केन्द्र आदि लिखा गया है को अंतिम माना जाएगा और एक बार ऑनलाईन आवेदन फार्म जमा कर देने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन /संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अत: उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पूर्ण सावधानी से करें क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और/या अपूर्ण विवरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या आवेदन फार्म में दिए गए आवश्यक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। किसी भी संदर्भ में ऑनलाईन आवेदन यदि अधूरा होता है जैसे ऑनलाईन आवेदन में बिना उचित आकार की फोटोग्राफ और अपलोडेड हस्ताक्षर / असफल शुल्क भुगतान आदि, विचाराधीन और मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख की समाप्ति से काफी पहले ऑनलाईन आवेदन करें और शुल्क / सूचना प्रभार जमा कराने की अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाईट पर भारी लोड / जैम के कारण वेबसाईट पर लॉगईन फेल्यूअर / असमर्थता / डिसक्नेक्शन होने की संभावना से बचा जा सकता है। उक्त वर्णित कारणों या अन्य किसी कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तारीख तक अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. कृपया नोट करें कि केवल उक्त ऑनलाइन प्रक्रिया ही आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है. अन्य किसी प्रक्रिया से आवेदित या अधूरी प्रक्रिया से किये गये आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे. उम्मीदवार द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गयी कोई भी जानकारी उम्मीदवार के लिये व्यक्तिगत रुप से बाध्य होगी और बाद में किसी भी स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी / दिये गये विवरण यदि गलत पाये जाते हैं उस मामले में उत्पन्न अभियोजन / सिविल परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

<u>बुलावा पत्र डाऊनलोड करना</u> :-

<u>ऑनलाईन परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग से)</u> के लिए बुलावा पत्र डाऊनलोड करने हेतु उम्मीदवार हमारी वेबसाईट www.newindia.co.in पर संपर्क करें. बुलावा पत्र डाऊनलोड करने की सूचना ई-मेल/ एसएमएस द्वारा भी दी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा संबन्धित लिंक पर क्लिक करने पर बुलावा पत्र डाऊन लोड करने की विंडो खुलेगी। बुलावापत्र डाऊन लोड करने हेतु उम्मीदवार का (i) पंजीकरण संख्या / अनु.क्रमांक, (ii) पासवर्ड / जन्म तारीख आवश्यक है. प्रमुखत: पंजीकरण के दौरान लगाई गयी वर्तमान पहचान योग्य फोटोग्राफ ही बुलावा पत्र पर चिपकाएं और परीक्षा केन्द्र में (i) बुलावा पत्र (ii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य जैसे कि पहचान सत्यापन और बुलावा पत्र में उल्लिखित है तथा (iii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य की एक फोटोप्रति साथ में लाएं।

12. <u>कदाचार में दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई</u> :-

उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दिये गये विवरण में वे किसी प्रकार की गलत बयानी, हेरफेर, जालसाजी या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दबाने का प्रयास न करें ।

ऑनलाईन परीक्षा / क्षेत्रीय भाषा जांच परीक्षा या चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न का दोषी पाया जाता है (या पाया गया हो) :

- परीक्षा के दौरान गलत स्रोत का प्रयोग या
- छद्मरुप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रुप धारण करने या
- परीक्षा में गलत व्यवहार या
- उम्मीदवार के चयन के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित स्रोतों से संबंध बनाने या

- किन्हीं गलत स्रोतों से उम्मीदवार मदद प्राप्त करता है
- परीक्षा हाल में मोबाइल फोन या इसी प्रकार के इलेट्रोनिक संचार डिवाइस ऐसे उम्मीदवार स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा. इसके अतिरिक्त वह निम्न के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा :
  (i) जिस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी है उस परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।
  (ii) कंपनी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या भर्ती के लिए उसे स्थायी रुप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
  (iii) यदि पहले ही दि न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी में कार्य ग्रहण कर चुका है तो उसे सेवाओं से निष्कासित कर दिया जाएगा।

13. <u>अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पीडब्ल्यूबीडी / ईडब्ल्यूएस हेतु विशेष दिशा निर्देश</u> :-

ए. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवार निम्नलिखित प्राधिकारियों से जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं :-

- जिला मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी / उपायुक्त / उपजिलाधिकारी / प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट / उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट / तालुका मैजिस्ट्रेट / उच्च मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) ।
- मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो।
- उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है. जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति का संबंध है, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के एवज में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य होगा।

नोट : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र, स्वत: सत्यापित फोटोप्रति सहित, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा।

बी) ऐसे उम्मीदवार जो अ.पि.व. के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं उन्हें " ओबीसी" स्टेटस और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस" के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि डीओपीटी का ज्ञा.संख्या 36012/22/93- स्था (एससीटी) तारीख 15/11/1993 (समय समय पर संशोधित) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। प्रमाणपत्र में "नॉन-क्रीमी लेयर खंड" होना आवश्यक है जो कि डीओपीटी का ज्ञा.संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) तारीख 08/09/1993 (समय समय पर संशोधित) के अनुसूची के स्तम्भ 3 के अनुसार हो। प्रमाणपत्र पिछले तीन वित्त वर्ष (2021-22, 2022-23 और 2023-24) की आय पर आधारित हो अथवा 31/03/2024 के बाद एवं 01/04/2025 के पहले जारी किया गया हो। इसके बिना उम्मीदवार को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा ऐसे उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रारुप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी है।

" मैं ______ पुत्र / पुत्री श्री __________ गांव / नगर / शहर का निवासी ______ जिला ________ राज्य एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं _______ समुदाय से संबंध रखता/रखती हूं जिसकी पहचान भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण के प्रायोजन हेतु पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की गयी है जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08/09/1993 (समय-समय पर संशोधित) के नियमों के अनुसार जारी किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी व्यक्ति समूह/समुदायों (क्रीमी लेयर) का हिस्सा नहीं हूं, जिसका उल्लेख उपर्लिखित कार्यालय ज्ञापन तारीख 08/09/1993 (समय-समय पर संशोधित) के स्तम्भ 3 की सूची में है।

प्रमाण पत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची / अधिसूचना के पत्र के साथ हू-बहू मेल खाना चाहिए। अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमी लेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा / या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं हैं।

सी). अशक्तता सहित व्यक्तियों हेतु :- जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपिडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे।

डी) ईडब्यूएस उम्मीदवारों के लिए जारी आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण (भारत सरकार द्वारा समय-समय पे जारी) निम्न हैं: I. जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी / उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी / प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट / उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त त II. मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट मैजजस्रेट III. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो. IV. उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है। आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि। और यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आय होगी। प्रमाण पत्र 31/03/2024 के बाद एवं 01/04/2025 के पहले जारी किया जाना चाहिए।

ई) कृपया क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, ईएक्सएस) प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूपों के लिए इसी विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण के अनुलग्नक देखें। इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणपत्र केवल इन्हीं फॉर्मेट में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

14. <u>परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड)</u> :-

नव नियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि न्यूनतम छ:माह होगी. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले नये भर्ती किये गये कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की जांच होगी और जिनका निष्पादन कंपनी की अपेक्षा अनुसार नहीं होगा उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जा सकती है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान जो उम्मीदवार कंपनी से त्यागपत्र देते हैं और जिन उम्मीदवारों को कंपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान निलंबित करती हैं तो उसे कंपनी में प्रदान की गयी पूर्ण सेवा के दौरान दिये गये वेतन एवं अतिरिक्त रु.25,000/- प्रशिक्षण के आंशिक खर्च के रुप में अदायगी करनी होगी। वर्तमान कार्मिक के वास्तविक पद को बनाये रखने के लिए किसी लियन / बाँड के लिये कंपनी बाध्य नहीं होगी और उसे कोई छूट्टी, वेतन या पेंशन का अंशदान नहीं दिया जाएगा।

15. पारिश्रमिक और लाभ :-

i. वेतनमान : 22405-1305(1)-23710-1425(2)-26560-1605(5)-34585-1855(2)-38295-2260(3)-45075-2345(2)-49765-2500(5)-62265.

ii. पारिश्रमिक : प्रारंभिक स्तर पर महानगरीय केन्द्रों में कुल पारिश्रमिक प्रतिमाह लगभग रु.40,000/- होगा। अन्य भत्ते तैनाती स्थल के आधार पर भिन्न हो सकते हैं. भत्तों के अलावा अन्य लाभ होंगे जैसे कि एकमुश्त घरेलु चिकित्सा लाभ, अस्पताल में भर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए समूह मेडिक्लेम पॉलिसी की सदस्यता, एलटीएस तथा अन्य स्टाफ हित लाभ इत्यादि जोकि कंपनी के नियमों के अनुसार होंगे।

16. सामान्य जानकारी :-

1. उम्मीदवारों को अनिवार्यतः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे वैध बुलावा पत्र, फोटो-पहचान प्रमाण की मूल प्रति और एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर वही नाम हो जो ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र आदि पर दिखाई देता है।

2. परीक्षा प्रशासन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: नकारा नहीं जा सकता जिसका प्रभाव परीक्षा देने और / या परिणाम तैयार करने पर हो सकता है. ऐसी घटना पर कठिनाई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को किसी अन्य केन्द्र में स्थानांतरित करना शामिल है या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा. ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न करने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा हेतु अपनी उम्मीदवारी खो देंगे।

3. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य होगा. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होंगी।

4. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को परीक्षा के विभिन्न सत्रों के स्तरों के कठिनाई स्तर को समान स्तर पर लाने के लिए समायोजित करने पर मामूली अंतर आएगा। नोड्स की क्षमता कम है या केन्द्र पर कोई तकनीकी व्यवधान आ जाता है तो उम्मीदवार के लिए एक से अधिक सत्र लिये जाने की आवश्यकता हो सकती है।

5. एकल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया (उत्तरों) का विश्लेषण अन्य उम्मीद्वारों के साथ, सही और गलत उत्तर के पैटर्न की समानता का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में अपनायी गयी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यदि यह अनुमान / निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर का आपस में मिलान किया गया है तथा प्राप्तांक प्रामाणिक / वैध नहीं है तो कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकती है और ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम रोक रखा जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने के दृष्टांत सामने आते हैं तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उसे दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दृष्टांतों का पता नहीं चल पाता परंतु बाद में ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तब ऐसी अयोग्यता पहले से ही प्रभावी होगी।

7. ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य) और / या क्षेत्रीय भाषा परीक्षा की तिथि, समय और स्थान में परिवर्तन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणों में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित तिथियों तक उपर्युक्त पात्रता को पूर्ण करता हैं और उसके द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है. यदि भर्ती के किसी चरण में यह पता चल जाता है कि उम्मीदवार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और /या उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या किन्हीं तथ्यों को छुपाया है तब उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी कमियाँ पायी जाती हैं तो उसको सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों के हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हे सूचित किया जाता है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही ऑनलाईन आवेदन कर लें और अंतिम तिथि तक आवेदन करने का इंतजार न करें क्योंकि अंतिम तिथि वाले दिन इंटरनेट पर लोड बढने के कारण वेबसाइट पर लॉग-इन करने में असमर्थता / विफलता / डिसक्नेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

10. किसी भी कारणवश यदि उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

11. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अपना पंजीकृत ई-मेल आयडी तथा मोबाइल नम्बर संपर्क के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें।

12. सूचना केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / या एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। ऐसी स्थिति जैसे उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर, ईमेल पता बदल गए हों या तकनीकी खराबी या अन्यथा जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे हैं और जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को नवीनतम सूचना न मिल पाने की स्थिति में कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट **https://www.newindia.co.in** के भर्ती अनुभाग पर नवीनतम अपडेट के लिए जांच करते रहें। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ईमेल अकाउंट की भी जांच करते रहें।

13. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाईन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते की वे क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा में योग्य घोषित हुए हो. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेकाधिकार से जहाॅ कहीं आवश्यक हो किसी अन्य परीक्षा का आयोजन, कोई केंद्र जोड़, हटा या आबंटित कर सकती है।

14. ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार का दाखिला प्रोविजनल तौर पर होगा और यह उम्मीदवार की आयु / अर्हता / श्रेणी (अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्लूबीडी/इएक्सएस) से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना होगा।

15. उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। एक से अधिक आवेदन के मामले में केवल अंतिम वैध (पूर्ण रूप से) आवेदन मान्य होगा तथा एक से अधिक अन्य पंजीकरणों के मामले में आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार जब्त कर लिया जाएगा । ऑनलाइन परीक्षा और / क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में एकाधिक उपस्थिति होने की स्थिति में बिना किसी पत्राचार के अस्वीकार कर दी जाएगी / उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदनों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और / या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उम्मीदवार को केवल किसी एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन करना होगा। एक से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए गए आवेदन करने की स्थिति में उम्मीदवार के सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

16. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीद्वारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय आयु / अर्हता / श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. वे उम्मीदवार जो (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के तहत आरक्षण पाना चाहते है वे निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र के साथ जमा करें और उक्त जाति प्रमाणपत्र में उस नियम / आदेश का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) घोषित किया गया हो और उम्मीदवार उस गॉव / कस्बे का मूल निवासी है इसका भी स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए।

17. यदि किसी भी चरण पर जाती प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी अपने आप निरस्त मानी जाएगी।

18. उम्मीदवार जो कि सरकारी / अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं) तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय जमा कराना होगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा भत्ता देय है तो वह भी नहीं अदा किया जाएगा. चयन किये गए उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ के समय अपने नियोक्ता (सरकारी / सार्वजनिक / निजी) द्वारा जारी सेवामुक्त पत्र / कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ नहीं करने दिया जाएगा।

19. उम्मीदवार को अपने ही खर्च पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा. अ. जा. / अ.ज.जा. / पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उम्मीदवारों द्वारा यात्रा का सबूत (रेल / बस की टिकट / रसीद इत्यादि) प्रस्तुत करने पर उन्हें स्लीपर क्लास का अपने निवास स्थान से न्यूनतम दूरी के मार्ग से जाने व आने का रेल / बस किराया दिया जाएगा।

20. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा सभी दस्तावेजों जैसे उसके बुलावा पत्र, उपस्थिति पत्रक आदि में और भविष्य में कंपनी के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान हों और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव न हो। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

21. यदि चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के बाद के चरण में, उम्मीदवार की हस्तलिखित घोषणा की लिखावट विशेषज्ञ विश्लेषण के आधार पर असमान/भिन्न पाई जाती है, तो उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

22. हाल में लिया हुआ, पहचानने योग्य तस्वीर (4.5 सेमी × 3.5 सेमी) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की जानी चाहिए और उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसी की प्रतियां रखी जाएं। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे प्रक्रिया पूरी होने तक अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही तस्वीर पेश करने में विफलता या किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

23. उम्मीदवारों से आवश्यक रूप से यह अनुरोध है कि वह परीक्षा में सामाजिक दूरी पद्धति के सभी दिशानिर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

24. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ पाये जाने के अधीन होगी. जोंकि कंपनी की एक आवश्यकता है। ऐसी नियुक्ति कंपनी की सेवाओं और आचरण नियमों के अधीन होगी।

25. पात्रता, ऑनलाईन परीक्षा के संचालन, अन्य परीक्षा और चयन से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा. उम्मीद्वार की ओर से किसी प्रस्तुतीकरण / पत्र व्यवहार पर कंपनी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

26. किसी विधि, दावे की प्रक्रिया में और / या विज्ञापन के संदर्भ मे उठे विवाद के संबंध मे आवेदन, कानूनी कार्रवाई केवल मुंबई के न्यायालय / न्यायाधिकार / अदालत में ही किया जा सकता है.

27. चयनित उम्मीद्वार कंपनी के प्रचालित सेवा नियमो की शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे।

28. ऑनलाइन परीक्षा / क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उम्मीद्वार का प्रवेश प्रोविजनल है। जारी बुलावा पत्र से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीद्वार को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है।

29. निम्न वस्तु परीक्षास्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है :-

a) पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामिती / पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैल्कुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रोनिक पेन / स्कैनर आदि जैसी कोई स्टेशनरी आइटम
b) ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि जैसे कोई भी सांचार उपकरण - अन्य आइटम जैसे चश्मे, हैंडबैग, हेयर- पिन, हेयर - बैंड, बेल्ट, कैप, आदि.
c) सभी आभूषण जैसे अंगूठी, झूमके, नोज-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि पूरी तरह से जाांच की जाएगी
d) कोई घड़ी /कलाई घड़ी, कैमरा, आदि
e) कोई धातु की वस्तु
f) कोई भी खाने योग्य वस्तु खोली या पैक की गई
g) कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित तरीके से कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि जैसे संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता है।

इन अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर उम्मीदवार की पात्रता रद्द कर दी जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध और पुलिस शिकायतों सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके अपने हिट में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कोई भी एजेंसी किसी भी आइटम के नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। इसे सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी उम्मीदवारों के पास होगी या कोई लागत नहीं होगी।

30. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकती है।

31. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य की किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये कमियां, वर्तमान चयन प्रक्रिया में न उजागर होकर यदि भविष्य में ज्ञात हो, तो उम्मीदवार का निलंबन पूर्व-प्रभावी होगा।

किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में हमारे वेबसाईट https://www.newindia.co.in में भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन तथा भर्ती प्रक्रिया के आगामी अद्यतनों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट के भर्ती खंड पर संपर्क करें।

किसी भी प्रकार से की गई याचना को अयोग्य माना जाएगा।

उपमहाप्रबंधक | **मुंबई**
कॉर्पोरेट एचआरएम | **16/12/2024**

नोट :- किसी भी प्रकार की कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।